

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदया,
सहारनपुर।

आदरणीय महोदया,

विनम्र निवेदन यह है कि शिकायतकर्ता श्री प्रवीण कुमार जैन के शिकायती प्रार्थना पत्र पर पारित माननीय महोदया के आदेश दिनांकित 13-04-2023 के द्वारा प्रार्थी से स्पष्टीकरण चाहा गया है। प्रार्थी के आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण माननीय महोदया का उक्त आदेश की प्रति प्रार्थी को दिनांक 24-04-2023 को प्राप्त हुई।

यह कि शिकायतकर्ता श्री प्रवीण कुमार जैन आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा भूमाफिया व जालसाज व्यक्ति है तथा प्रार्थी पर अपना अविधिक कार्य कराने हेतु दबाव बनाने की मन्शा से झूठे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता रहता है। शिकायतकर्ता प्रार्थी के पडौस का ही रहने वाला है। शिकायतकर्ता द्वारा इससे पूर्व भी प्रार्थी के विरुद्ध एक झूठा प्रार्थना पत्र दिनांक 03-07-2022 को माननीय महोदया को प्रेषित किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थी को अपने किसी अविधिक कार्य को कराने हेतु प्रयास किया गया था, जिस पर प्रार्थी ने किसी भी अविधिक कार्य में सहयोग करने के लिए स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया था तथा भविष्य में प्रार्थी से न मिलने के लिए भी कहा गया था। क्योंकि पत्रावलियों में जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, वे पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किए जाते हैं, प्रार्थी की न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने में कोई भूमिका नहीं है। प्रार्थी न्यायालय में मात्र लिपिक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी द्वारा शिकायतकर्ता को मिलने से मना करने के उपरान्त शिकायतकर्ता ने प्रार्थी पर नाजायज दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठे तथ्यों के आधार पर शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। शिकायतकर्ता का एकमात्र उद्देश्य प्रार्थी को न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर से स्थानान्तरित कराना प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के किसी कर्मचारी द्वारा जो प्रार्थी से प्रतिद्वन्द्वता रखता है शिकायतकर्ता को बरगलाकर शिकायतकर्ता से शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है, ताकि प्रार्थी को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, से हटाया जा सके। प्रार्थी विगत 27 वर्षों से जनपद न्यायालय में कार्य कर रहा है। उक्त शिकायतकर्ता के अतिरिक्त प्रार्थी की कभी भी कोई शिकायत किसी अधिकारी, वादकारी अथवा किसी अधिवक्तागण द्वारा आज तक नहीं की गई है।

यह कि पूर्व में भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 03-07-2022 के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार जैन के पुत्र हर्षित जैन से उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में बातचीत हुई थी तथा उनके पुत्र द्वारा मुझे यह बताया गया था कि मेरे पिता जी जो नीरज जैन के कहने में चलते हैं, उनकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है और वह झूठे प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। मैं उनसे बात करूँगा और उनको समझाऊँगा। जिसकी बाबत प्रवीण कुमार जैन के पुत्र हर्षित जैन ने मुझे अपने घर पर बुलाया था तथा अपने पिता जी से बात कराई थी तथा उनके पिता द्वारा यह कहा गया था कि शिकायती प्रार्थना पत्र गलती से भेज दिये गये थे, मैं अपने आप वापस ले लूँगा।

यह कि पुनः शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 01-04-2023 के सन्दर्भ में प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा पुनः प्रवीण कुमार जैन के पुत्र हर्षित जैन से दिनांक 25-04-2023 को फोन द्वारा सम्पर्क किया गया तथा उसको अपने घर बुलाया गया तथा शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 01-04-2023 के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। उसने कहा कि मेरे पिता जी का दीमाग खराब हो गया है। वह किसी की भी बातों में आ जाते हैं। दिनांक 12-03-2023 को तो कोई ऐसी बात हुई ही नहीं थी। मैंने ही आपको अपने घर बुलाया था। वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, न ही कोई वाद विवाद हुआ था। मेरे पिता जी ने बहुत गलत काम किया है, जबकि मैं वहाँ मौजूद था। फिर भी मेरे पिता जी ने यह झूठा प्रार्थना पत्र गलत दिया है। श्री प्रवीण कुमार जैन के पुत्र हर्षित जैन द्वारा मुझे कहा गया कि आप मुझे माननीय जिला जज साहब से मिलवा दो, मैं उनको सारी सच्चाई बता दूंगा तथा लिख कर भी दे दूंगा कि ऐसा कोई वाक्या हुआ ही नहीं था।

शिकायती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रवीण कुमार जैन के पुत्र हर्षित जैन ने स्वयं अपने हस्तलेख में एक तहरीर भी प्रार्थी को लिखकर दी है, जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

स्पष्टीकरण माननीय महोदया की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

सधन्यवाद।

प्रार्थी,
 (अनुज कुमार जैन)
 अहलमद,

न्यायालय सी0जे0एम0, सहारनपुर।

संलग्नक-

शिकायतकर्ता श्री प्रवीण कुमार जैन के पुत्र हर्षित जैन द्वारा अपने पिता के शिकायती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी को स्वयं के हस्तलेख में दी गई तहरीर की स्वप्रमाणित प्रति।

26.4.23

जिला, साधारणीय अदालत
जिजा जज
साधारण

अदालत, निवेदन यह कि मेरे पिताजी की उमर 70 का है
रुक अर्थना पत्र दिनांक 1-4-23 को प्रवृत्त कुमार को
व कलम उमर के विरुद्ध दिया गया है व उक्त पत्र प्रवृत्त
है व निरापार है प्रवृत्त कुमार को मेरे पिता को कोई
घातकी नष्ट दी गई जा ही कोई गाली गल्लोप हुई है
म कलम नाम का व्यक्ति मेरे घर आया था तथा
घर के बाहर कोई व्यक्ति नहीं था मेरे पिता के साथ
हुने मे रुक अर्थना पत्र दिनांक 1-4-23 को
दिया गया था व उक्त पत्र गल्लोप था मेरे अपने
पिता को काला समझाया था कि आप ये गल्लोप अर्थना
पत्र मत दें किली को व्यक्ति के खिलाफ तब उच्च
साया ये अर्थना पत्र निरापार है निवासी के अर्थना
के कलम पर दिखे थे और तब प्रवृत्त कुमार को घर
पर बुला लें थे इसके समझा हुआ है इसकी
वाक्य मेरे प्रवृत्त कुमार को घर पर बुलवाया
था और प्रवृत्त के साथ मेरे पिता के साथ कोई
काद विवाद नहीं हुआ था और ना कोई अन्य व्यक्ति
प्रवृत्त कुमार के साथ आया था अतः श्री जज जी से
निवेदन है मेरे पिता को सही अर्थना पत्र को
निरस्त करने कि कृपा करें

साधारण

प्रवृत्त कुमार
साधारण

मेरे पिता
कोई

उसी
साधारण